

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-रा0क0आध0-2026-27//
प्रेषक,

2100

// राज्य कर

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: ०१ अगस्त, 2026

विषय:- राज्य कर अधिकारी की प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2026-27 में घटित रिक्तियों पर पदोन्नति फारगो के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत वर्षों की विभागीय प्रोन्नति कोटे की राज्य कर अधिकारी के पद की रिक्तियों को भरे जाने से पूर्व पात्र कार्मिकों से अग्रिम फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये हैं ताकि रिक्त पदों को शत प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से चयन कराकर भरा जा सके।

अवगत कराना है कि सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार (फोरगो) किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-14/2022/सैतालीस-का-1-2022/13(4)/2022 दिनांक 06-10-2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं:-

(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले सम्बन्धित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा।

(ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार (Forgo) करने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक की भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किया जाता है के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगे कि उन्हें भविष्य में, जनहित में, सम्बेदनशील/ महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

चयन वर्ष 2026-27 की विभागीय प्रोन्नति कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष भी निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही करायी जानी है जिसमें प्राप्त रिक्तियों की सूचना के अनुसार लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों की दिनांक 10-04-2023 को जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार सामान्य श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक-2017 तक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत स्थायी कार्मिकों तथा दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक- 2557, 2664, 2801, 2837 तथा ज्येष्ठता क्रमांक 2901 को पात्रता सूची में रखा जा सकता है।

अतः राज्य कर अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित चयन हेतु सामान्य श्रेणी के उपरोक्त ज्येष्ठता क्रमांक-2017 तक के स्थायी कार्मिकों तथा दिव्यांगजन श्रेणी के ज्येष्ठता क्रमांक- 2557, 2664, 2801, 2837 तथा ज्येष्ठता क्रमांक 2901 के कार्मिकों में से आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत यदि कोई कार्मिक राज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है तो शासनादेश दिनांक 06-10-2022 में दिये गये प्राविधानानुसार उससे इस आशय का विधिवत् शपथ पत्र प्राप्त कर लें कि चयन वर्ष 2026-27 के लिये प्रस्तावित राज्य कर अधिकारी के पद हेतु डी०पी०सी० में वह पदोन्नति का इच्छुक नहीं है तथा यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक की राज्य कर अधिकारी के पद पदोन्नति कर दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिये जाने के हकदार नहीं होंगे, ताकि तदनुसार उसे डी०पी०सी० के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें चयन किये जाने अथवा उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक के चयन हेतु मामले में चयन समिति के माध्यम से निर्णय कराया जा सके।

यदि उपरोक्त सम्बन्ध में कोई कार्मिक अपना सहमति पत्र प्रस्तुत करता है तो कृपया उसे प्रत्येक दश में दिनांक-08-09-2026 तक मुख्यालय को भिजवाये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA

Date: 31-08-2026

18:32:52

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

✓ प्रतिलिपि:- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से कि उक्त पत्र को कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

Digitally signed by
AKHILENDRA KUMAR

Date: 01-09-2026

10:09:58

(अखिलेन्द्र कुमार)

संयुक्त आयुक्त (स्था०अरा०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।